विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 362

दुर्ग, दिनांक 14/10/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 114
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री,
नगर निगम भिलाई,
बी.पी. क्रमांक : 1001989327

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिवीजन वेस्ट।
2. सहायक यंत्री, नेहरू नगर जोन।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 01 / 10 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क प्रकाश व्यवस्था हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001989327, के विद्युत देयक में त्रुटिपूर्ण बिलिंग किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है। उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 13.03 किलोवाट दर्शाया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं :–

1. उक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 13.03 किलोवाट है।

3. उक्त विद्युत कनेक्शन में अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक का कथन है कि नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक की अवधि में मीटर की सही रीडिंग एवं स्थल सत्यापन के आधार पर बिलिंग किए बिना औसतन 4,838 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर विद्युत देयक जारी किए गए। उक्त अवधि की बिलिंग उचित आधार पर नहीं की गई है, अतः इसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है।

आवेदक द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि सड़क बत्ती के विद्युत कनेक्शन पर पावर फैक्टर अधिभार की गणना एवं वसूली लागू टैरिफ के अनुरूप नहीं की गई है। अतः उक्त अधिभार की जांच कर नियमानुसार निरस्त किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 25 किलोवाट तक बढ़ाए जाने तथा मीटर किराये की राशि ₹100 की समीक्षा किए जाने की मांग की गई है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर में निम्नलिखित तथ्य बताए गए हैं :–

1. बी.पी. क्रमांक 1001989327, स्वीकृत भार 13.03 किलोवाट, सड़क बत्ती कनेक्शन का मीटर जल जाने के कारण नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक औसतन 4,838 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर बिलिंग की जाती रही। अगस्त 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

2. उक्त विद्युत कनेक्शन में तीन फेज, 10–60 एम्पियर क्षमता का मीटर स्थापित है।

3. स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने से पूर्व उक्त कनेक्शन की बिलिंग पावर फैक्टर 0 के आधार पर की जा रही थी।

4. उक्त विद्युत कनेक्शन में स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया जा रहा है।

अनावेदकगण द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति तथा दिसंबर 2022 से अगस्त 2026 तक का बिलिंग विवरण एवं गणना पत्रक भी प्रस्तुत किया गया है।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :–

क्या आवेदक के विद्युत कनेक्शन की बिलिंग निर्धारित नियमों एवं लागू टैरिफ के अनुरूप की गई है तथा क्या जारी विद्युत देयकों में संशोधन किया जाना आवश्यक है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा उभय पक्षों के कथनों, अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग विवरण, गणना पत्रक एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण से निम्नलिखित तथ्य एवं निष्कर्ष सामने आते हैं :–

6.1. मीटर खराब रहने की अवधि की बिलिंग

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त विद्युत कनेक्शन का मीटर दिसंबर 2022 से खराब था तथा नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक औसतन 4,838 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर बिलिंग की जाती रही। अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात विद्युत खपत औसतन लगभग 4,687 यूनिट प्रतिमाह पाई गई।

अतः उपलब्ध बिलिंग अभिलेखों के आधार पर मीटर खराब रहने की संबंधित अवधि में औसत खपत 4,687 यूनिट प्रतिमाह के अनुसार बिलिंग की पुनर्गणना एवं आवश्यक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6.2. पावर फैक्टर अधिभार

अनावेदकगण द्वारा अपने उत्तर में कहा गया है कि स्मार्ट मीटर स्थापित होने से पूर्व उक्त कनेक्शन की बिलिंग पावर फैक्टर 0 के आधार पर की जाती थी। तथापि, पावर फैक्टर अधिभार की बिलिंग अथवा उसकी गणना के संबंध में अनावेदकगण द्वारा पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अतः मीटर खराब रहने की संबंधित अवधि के दौरान पावर फैक्टर अधिभार बिलिंग को निरस्त कर संबंधित राशि का नियमानुसार समायोजन किया जाना उचित होगा।

6.3. स्वीकृत भार एवं अधिकतम मांग

अभिलेखों के अनुसार उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 13.03 किलोवाट है। स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात विद्युत कनेक्शन पर स्वीकृत भार से अधिक अधिकतम मांग दर्ज होना बताया गया है। दिसंबर 2025 में अधिकतम मांग 22 किलोवाट दर्ज होने का उल्लेख है।

अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं लागू प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत भार अधिकतम दर्ज मांग 22 किलोवाट के आधार पर पुनर्निर्धारण नियमानुसार किया जाए। साथ ही, जनवरी 2026 से अधिकतम मांग के संबंध में लगाए गए अधिभार/दंड को निरस्त कर संशोधित बिलिंग किया जाना उचित होगा।

6.4. मीटर की श्रेणी एवं मीटर किराया

स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उक्त विद्युत कनेक्शन में तीन फेज, 10–60 एम्पियर क्षमता का मीटर स्थापित है।

अतः अनावेदकगण द्वारा स्थापित मीटर की वास्तविक श्रेणी एवं लागू टैरिफ/नियमों के अनुसार मीटर किराये की बिलिंग की जाए। यदि मीटर किराये अथवा मीटर श्रेणी के आधार पर गलत राशि वसूल की गई हो, तो उसका संशोधन किया जाना उचित होगा।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :–

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक की संबंधित अवधि में मीटर खराब रहने के दौरान की गई बिलिंग की पुनर्गणना उपलब्ध अभिलेखों एवं लागू नियमों के अनुसार औसतन 4,687 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर करें तथा आवश्यकतानुसार विद्युत देयकों में संशोधन करें।

2. अनावेदकगण मीटर खराब रहने की संबंधित अवधि में पावर फैक्टर अधिभार की राशि को निरस्त कर नियमानुसार समायोजित करें।

3. अनावेदकगण दिसंबर 2025 में दर्ज 22 किलोवाट की अधिकतम मांग तथा लागू प्रावधानों के आधार पर स्वीकृत भार के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही करें। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2026 से अधिकतम मांग के संबंध में लगाए गए अधिभार/दंड की राशि निरस्त की जाए।

4. अनावेदकगण स्थापित मीटर की वास्तविक श्रेणी एवं लागू टैरिफ के अनुसार मीटर किराये एवं संबंधित बिलिंग कर करें।

5. उपर्युक्त संशोधनों के पश्चात यदि आवेदक के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा अथवा वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी विद्युत देयकों में समायोजन किया जाए।

6. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग का विस्तृत गणना पत्रक तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

7. उपर्युक्त निर्देशों के साथ परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

8. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की तारीख से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

9. आदेश पारित।

10. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. संजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग